रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1085/2015

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2623/2015)

राजस्थान राज्य. .... अपीलार्थी

बनाम

जैनुद्दीन शेख व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 250 - उचित कारण के बिना अभियोजन के लिए मुआवजा - प्रतिवादियों को 1985 अधिनियम की धारा 8/21(8) और 8/29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी के रूप में आरोपित किया गया।- विशेष न्यायाधीश द्वारा उत्तरदाताओं को मुआवजा देना, क्योंकि जब्त की गई वस्तुओं का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराने में देरी के कारण उन्हें अवैध हिरासत का सामना करना पड़ा था और परीक्षण से पता चला कि जब्त की गई वस्तुओं में कोई भी

प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी।- उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को बरकरार रखा गया - अपील पर, माना गया: विलंब दोषमुक्त करने के का आधार है - यह ध्यान देने योग्य है कि गश्त के दौरान पुलिस ने देखा उस समय आरोपी व्यक्तियों का व्यवहार संदिग्ध था - जब्ती अधिकारी की ओर से कोई चूक नहीं थी, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें झूठा फंसाया था और कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था - आरोपी व्यक्तियों को मुआवज़ा देने की अवधारणा की ओर उच्च न्यायालय ने अपना दिमाग नहीं लगाया - इस प्रकार, मुआवज़ा देने वाले विचारण न्यायालय के आदेश और उसे बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया - स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985)

निर्णय

दीपक मिश्रा , न्यायाधीश

1. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में विचार के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, वह यह है कि क्या विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उन उत्तरदाताओं मे से प्रत्येक को 1,50,000/- रुपये की राशि का मुआवजा देना उचित ठहराया था, जिन्हें स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षिप्त मे, "एनडीपीएस अधिनियम") की धारा 8/21(बी) और 8/29 के तहत दंडनीय अपराध आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया था। इस आधार पर कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट

प्राप्त करने में देरी हुई और आगे परीक्षण से पता चला कि जब्त की गई वस्तुओं में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं थी और इसलिए, उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था, और क्या उच्च न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि करने के लिए तथ्यात्मक स्थिति की सही ढंग से सराहना की है कि मुआवजा देना गलत नहीं है।

2. सीमित मुद्दे के निर्णय के लिए जो तथ्य बताए जाने आवश्यक हैं, वे हैं कि 02.11.2011 को पीडब्लू-5 नेमीचंद, थाना प्रभारी, पीएस भीमगंज, पीडब्लू-4, उमराव, कांस्टेबल और पीडब्लू-6, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल के साथ आगे बढ़ते हुए गश्त के दौरान दोनों आरोपियों को एक साथ देखा और पुलिस वाहन को देखकर आरोपी जैनुद्दीन तेजी से मंगल पांडे सर्कल के पास कच्चे रास्ते की ओर चला गया और पूछताछ करने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आरोपी की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान आरोपी-प्रतिवादी संख्या-1 की पैंट की पिछली जेब में एक पॉलिथीन बैग मिला जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ था लेकिन उसके पास इसका कोई लाइसेंस नहीं था। पॉलिथीन बैग का वजन 31 ग्राम 170 मिलीग्राम था। पुलिस ने कथित स्मैक के 5 ग्राम वजन के दो नमूने तैयार किये तथा शेष को पॉलीथीन बैग में रखकर सील कर दिया गया। इसके बाद अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या-1 को मौके पर गिरफ्तार किया गया और फर्द जब्ती तैयार की गई। उस समय आरोपी शब्बीर को भी हिरासत में लिया गया था। इसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज

की गई और अनुसंधान के बाद, आरोपी-प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 (बी) के तहत एवं अभियुक्त शब्बीर के विरूद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/29 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

3. अभियुक्तों आरोपों से इनकार किया और द. प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।

4. अभियोजन पक्ष ने आरोप स्थापित करने के लिए 6 गवाहों का परीक्षण कराया। यह ध्यान दिया जाए कि जो नमूना 8.11.2011 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था, उसका रासायनिक विश्लेषण 9.9.2013 को किया गया था और प्रतिवेदन 28.9.2013 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था और इसे प्रदर्श पी-11 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उक्त दस्तावेज़ से पता चला कि नमूने में "कैफीन" और "पैरासिटामोल" थे और इसमें डायसेटाइलमॉर्फिन (हेरोइन) या "अफीम" (ओपियम) का एल्कलॉइड नहीं था।जैसा कि प्रतिवेदन ने संकेत दिया कि उक्त वस्तुएं एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की श्रेणी के तहत नहीं आती हैं, निचला विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप किसी भी तरह से साबित नहीं हुए।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उक्त निष्कर्ष को अभिलिखित करते हुए यह कहा:-

"वर्तमान मामले में निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है कि जब्ती करने वाले अधिकारी को मादक पदार्थ के संबंध में कोई अनुभव नहीं है। हालाँकि पीडब्लू 5, नेमी चंद ने अपनी गवाही में केवल जाँच करके सामग्री को मादक पाया था। निश्चित रूप से यह जब्त करने वाले मादक पदार्थ की पहचान के बारे में अधिकारी की अज्ञानता को दर्शाता है। जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा इस बात का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उसे या तो उस सामग्री को चखना चाहिए था, जिसे जब्त किया गया था, या उसे अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए था, जो जब्ती के समय मौजूद थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सामग्री मादक है या नहीं। जब्त करने वाले अधिकारी ने सामग्री को सूंघने के बाद ही इसकी पहचान स्मैक के रूप में की थी। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेख करना न्याय हित में होगा कि यदि सामग्री के मादक होने या न होने पर संदेह है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि तुरंत ऐसी सामग्री का रासायनिक विश्लेषण किया जाए, लेकिन वर्तमान मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उपरोक्त रिपोर्ट 28.09.2013 को अदालत में प्रस्तुत की गई थी और प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक विश्लेषण 09.09.2013 को किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सामग्री का

रासायनिक विश्लेषण 02.11.2011 को हुई घटना के लगभग 2 वर्ष बाद अर्थात दो वर्ष की अवधि के बाद किया गया था, इसलिए निश्चित रूप से इसे न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

6. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने राय दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1640/2010 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को बताता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य के साथ-साथ प्रभाग के स्तर पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए, राज्य सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह भी राय दी कि राज्य सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन करने में समर्थ नहीं थी और उचित समय के भीतर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इस दृष्टिकोण के चलते, उन्होंने अभियुक्तों के पक्ष में दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया। इसके पश्चात विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 250 (संक्षेप में, 'संहिता') का उल्लेख किया और राय दी कि सत्र न्यायालय दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले में अभियुक्त को मुआवजा दे सकता है और तदनुसार दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को प्रत्येक को 1,50,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

7. हमने राजस्थान राज्य की ओर से एजीजी श्री शमशेरी को सुना। नोटिस के बावजूद, प्रत्यर्थियों की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई है।

8. संहिता की धारा 250 मजिस्ट्रेट को कुछ शर्तों को पूरा करने पर मुआवजा देने की शक्तियां प्रदान करती है। उक्त प्रावधान में एक प्रक्रिया शामिल की गई है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें विद्वान सत्र न्यायाधीश मुआवजा पारित कर सकता हैं। इस संदर्भ में हम ***दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य (1996) 11 एससीसी 711)*** के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। उसमें अपीलकर्ता को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के साथ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'टीएडीए') की धारा 6(1) के साथ दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव यह था कि उसे गाँव के हंसराज लम्बरदार के कहने पर झूठा फंसाया गया था।उन्होंने अपने बचाव में चार गवाहों का परीक्षण कराया। उसे टीएडीए की धारा 6 के तहत दोषमुक्त कर दिया गया था लेकिन आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए और बचाव पक्ष की दलील पर ध्यान देते हुए दोषसिद्धि के फैसले को खारिज कर दिया और ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने राय दी कि:-

> ".....यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों, अर्थात हेड कांस्टेबल रणधीर पीडब्लू-2 और तत्कालीन हेड कांस्टेबल जय दयाल पीडब्लू 3 ने अपीलकर्ता पर झूठा मुकदमा लगाया था, उन कारणों से जो वे ही जानते हैं, जो एक

बहुत ही गंभीर मामला है। हमें सूचित किया गया है कि अपीलकर्ता इस मामले के संबंध में कुछ दिनों तक हिरासत में था। इसलिए, हम प्रतिवादी-राज्य को 5000 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दो महीने के भीतर अपीलकर्ता को भुगतान करने का निर्देश देते हैं। हालाँकि, प्रतिवादी-राज्य पुलिस अधिकारियों, रणधीर पीडब्लू 2 और जय दयाल पीडब्लू 3 (प्रत्येक से 2500 रुपये) से उक्त राशि वसूल कर सकता है, जो अपीलकर्ता को गलत फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं।"

9. ***मोहम्मद जाहिद बनाम सरकार एनसीटी दिल्ली (1998) 5 एस. सी. सी. 419*** में, अपीलकर्ता ने टीएडीए की धारा 19 के तहत अपील दायर की थी। निर्दिष्ट अदालत ने उसे दोषी पाया था और उसे टीएडीए की धारा 5 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे पांच साल के लिए कठोर कारावास और रुपये 1000/- का जुर्माना देने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर अतिरिक्त दो महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और दोषमुक्ति का आदेश दिया। विश्लेषण के दौरान, न्यायालय ने राय दी कि कुछ दस्तावेजों का अंतर्वेशन किया गया था, कुछ गवाहों के साक्ष्य बिल्कुल झूठे थे और अपीलकर्ता ने पीडब्लू 5 और 6 और अन्य पुलिसकर्मियों की साजिश के कारण लंबे समय

तक अवैध कारावास का शिकार बनाया और तदनुसार मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

10. इस संदर्भ में कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख उचित होगा। ***पुलिस निरीक्षक, राज्य की ओर से, व अन्य बनाम एन.एम.टी. जॉय इमैक्युलेट (2004) 5 एस. सी. सी. 729*** में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ एक आपराधिक पुनरीक्षण में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर विचार कर रही थी, जिसे अनुमति दी गई थी और कुछ निर्देशों के साथ पुनरीक्षण का निपटारा किया गया था। उच्च न्यायालय ने एक शपथ पत्र के आधार पर 1 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया था। न्यायाधीश जी. पी. माथुर, ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के बाद विद्वान मुख्य न्यायाधीश और स्वयं के लिए बोलते हुए राय दी है किः-

> "उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर 1 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया है कि उसे पुलिस थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और पुलिस कर्मियों ने छेड़छाड़, अश्लील हरकतें आदि की। गौरतलब है कि पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जॉय इमैक्युलेट के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जमानत के लिए उसका आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा 18-1-2002 को पुनरीक्षण के निर्णय से पहले खारिज

कर दिया गया था। ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है जो मुकदमा शुरू होने से पहले ही हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए अभियोजन का सामना कर रहा हो। इसलिए, ऐसा दिशानिर्देश, अपास्त किए जाने योग्य है।"

डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, न्यायाधीश ने अपनी मिलती जुलती राय व्यक्त करते हुए कहा है:-

"सबसे ऊपर, विद्वान न्यायाधीश ने इस आधार पर 1 लाख रुपये का मुआवजा देने में गंभीर त्रुटि की है कि पुलिस कर्मियों ने प्रतिवादी को परेशान करते हुए अश्लील हरकतें की थी। विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मामले में दायर शपथ पत्र के आधार पर और इस धारणा के आधार पर भी भरोसा किया है कि प्रत्यर्थी उस घटना में शामिल नहीं थी, जो मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा आदेशित आगे की जांच को रोक देगा। विचारण शुरू होने से पहले ही हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए अभियोजन का सामना कर रहे व्यक्ति को मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।"

11. इस संदर्भ में, हम ***हरदीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012) 1 एस. सी. सी. 748*** मामले में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले का

उल्लेख कर सकते हैं। उक्त मामले में, अपीलकर्ता एक कोचिंग सेंटर चलाने में लगा हुआ था जहां छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ट्यूशन दिया जाता था।अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और भा.दं.सं. की धारा 420 के साथ सपठित धारा 34 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन लाया गया और हथकड़ी में उनकी तस्वीरें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। विचारण कई वर्षों तक चला और अंततः उन्हें 12 वर्षों के बाद दोषमुक्त कर दिया गया।इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर की जिसे मंजूरी के अभाव में खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह माना था कि शिकायत पोषणीय नहीं थी और उसे प्रारंभिक तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, पीड़ित ने कलेक्टर और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी देने के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इनकार के उक्त आदेश पर डब्ल्यू.पी. संख्या 4777/2007 में आपत्ति जताई गई थी। रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर, उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।

12. यह कहा गया है कि दोषमुक्त होने के बाद, अपीलकर्ता ने रिट याचिका संख्या 4368/2004 दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया था कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था और बिना किसी

वैध कारण के पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर रात में हिरासत में रखा गया था। दैनिक समाचार पत्रों में हथकड़ी में उनकी तस्वीरें प्रकाशित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बड़ी बहन जो उन्हें बेटे की तरह प्यार करती थी, सदमे के कारण मर गईं। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष शुरू से ही जानता था कि उसके खिलाफ दर्ज मामले झूठे थे और यह जानबूझकर मुकदमे के समापन में देरी का कारण बना, जिससे उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक मामले के समापन में देरी के लिए मुआवजा देने के सीमित प्रश्न पर रिट याचिका स्वीकार कर ली थी। अंततः मामले की सुनवाई करने वाले एक अन्य एकल न्यायाधीश ने कहा कि मुआवजे के लिए कोई मामला नहीं है। इंट्रा-कोर्ट अपील में, डिवीजन बेंच ने इसे पलट दिया और 70,000/- रुपये का मुआवजा दिया, जिसे इस न्यायालय ने बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया। खण्ड पीठ द्वारा किया गया विश्लेषण जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, निम्नलिखित प्रभाव वाला है:-

> ".....खण्ड पीठ ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को हथकड़ी लगाने का कोई वारंट नहीं था।उन्हें हथकड़ी लगाना बिना किसी औचित्य के था और इससे न केवल एक इंसान के

रूप में उनकी गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद परिणाम भी हुए थे।"

और मुआवजे को बढ़ाते हुए, न्यायालय ने कहा किः-

"हमने पाया कि डिवीजन बेंच के निष्कर्षों के आलोक में, 70,000 रुपये का मुआवजा बहुत कम था और यह अपीलकर्ता द्वारा झेले गए कष्टों और अपमान के साथ न्याय नहीं करता है।"

13. कानून की उपरोक्त व्याख्या के संबंध में, मामले के तथ्यात्मक आव्यूह की सराहना की जानी आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायाधीश के निर्णय की बारीकी से समीक्षा करने पर, यह स्पष्ट है कि उन्हें मूल रूप से तीन कारकों द्वारा निर्देशित किया गया है, अर्थात्, राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बावजूद विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की है; कि जब्त की गई वस्तुओं का परीक्षण कराने में देरी हुई है; और यह कि जब्त करने वाले अधिकारी ने अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करके स्वयं यह सत्यापित नहीं किया था कि प्रतिबंधित वस्तु अफ़ीम थी। जहां तक पहले पहलू की बात है तो यह पूरी तरह से अलग मामला है। जहाँ तक विलम्ब का संबंध है, यही दोषमुक्ति किए जाने के कारण का आधार है।यह अभिलिखित करना उचित है कि गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को देखा था और उस समय उनका व्यवहार संदिग्ध था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता

चले कि जब्त करने वाले अधिकारी की ओर से कोई चूक हुई थी। सबूत के तौर पर ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें झूठा फंसाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दूर-दूर तक यह संकेत मिले कि कोई दुर्भावना थी। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रकृति के मामले में आरोपी व्यक्तियों को मुआवजा देने की अवधारणा पर अपना ध्यान नहीं लगाया है। यह प्रदर्शित के लिए कोई भी सामग्री नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर आरोपी व्यक्तियों को शामिल किया है। हरदीप सिंह (उपरोक्त) के मामले में पेश की गई तथ्यात्मक स्थिति जैसी कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है।इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया विचार पूर्ण रूप से असमर्थनीय है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि पूरी तरह से असंधारणीय है।

14. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले विचारण न्यायाधीश और उसका अनुमोदन की मुहर लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है।

न्यायाधिपति [दीपक मिश्रा]

न्यायाधिपति [प्रफुल्ल सी. पंत]

नई दिल्ली

25 अगस्त, 2015

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।